

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, दुमका-सह निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 5-3-14

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बजट माँग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02 भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, के अंतर्गत लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के कार्यभारित/श्रमपुस्त कर्मचारियों को भुगतान हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2702-लघु सिंचाई के अंतर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	50-लघु सिंचाई विभाग/2702-लघु सिंचाई/02-भू जल,	005- अन्वेषण 02-उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण,	01-वेतन एवं भत्ते 11 कार्यभारित/ श्रमपुस्तों को वेतन, 50N270202005020111	47.285

आवंटित राशि - ₹ सैतालीस लाख अठाईस हजार पाँच सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट शीर्ष-2702-02-005 के अन्तर्गत उपशीर्ष-02-उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण के बजट उपबंध ₹ 50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

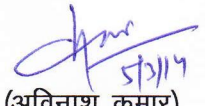
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

5. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
6. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
8. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

245

राँची, दिनांक :-

5-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड पो.-हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

245

राँची, दिनांक :-

5-3-14

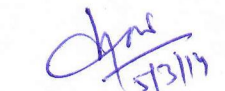
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/ योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) राँची/विशेष सचिव जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(ऑंकार नाथ)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)


(अविनाश कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक.....245

दिनांक5-3-14

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 1

लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के कार्यभारित / श्रमपुस्त कर्मचारियों के भुगतान हेतु निधि का आवंटन

क्र.		मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02 भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उपशीर्ष-02-उद्बह सिंचाई योजनाओं का अनुसूक्षण, विस्तृत शीर्ष-01 वेतन एवं भत्ते 11 कार्यभारित / श्रमपुस्तों को वेतन, विपत्र कोड- 50N270202005020111			अभियुक्ति
	वित्तीय वर्ष 2013-14				
	प्रमंडल का नाम	पूर्व का आबंटन (लाख ₹ में)	अतिरिक्त आबंटन (लाख ₹ में)	कुल आबंटन (लाख ₹ में)	
1	लघु सिंचाई प्रमंडल-दुमका	0.000	47.285	47.285	माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, सैची के W.P.(S) No-4483/2006 and W.P.(S) No-1740/2006 द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में।
	योग	0.000	47.285	47.285	
	आवंटित राशि -	₹ सैतालीस लाख अठारह हजार पाँच सौ मात्र।			

(ऑफर नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(अविनाश कुमार)
सचिव